

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-878 / 13संस्थित दिनांक-30.10.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

प्रकाश पुत्र मातादीन गुर्जर उम्र 59 साल

निवासी कैमोखरी थाना बरासो जिला भिण्ड

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 31.07.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-बी) (बी) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 19.10.13 को समय 16:30 बजे, या उसके लगभग मौ मेहगांव रोड दंदरौआ चिरौल के बीच अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे का बका हाथ का बना हुआ जिसकी लंबाई 17 अंगुल तथा मुठिया की लंबाई 7 अंगुल को प्रतिबंधित आकार का रखा।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना मौ पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक प्रमोदसिंह भदौरिया को दिनांक 19.10.13 को अनुसंधान हेतु घमूरी-दंदरौआ तरफ रवाना हुए तब वहां चिरौल तरफ जाते समय मौ-मेहगांव मार्ग पर दंदरौआ व चिरौल के बीच सार्वजनिक मार्ग पर एक व्यक्ति हाथ में थैला लिए मिला जिसे रोका, नाम पता पूछा। उसके पास थैले में धारदार बका मिला। उसे रखने का लायसेंस पूछे जाने पर कोई लायसेंस न होना बताया। समक्ष गवाहान बका जब्तकर जब्ती पत्रक बनाया, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया। थाना आकर अप0क्र0-239/13 पर अपराध पंजीबद्ध किया। दौराने अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.10.13 को समय 16:30 बजे, या उसके लगभग मौ मेहगांव रोड दंदरौआ चिरौल के बीच अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे का बका हाथ का बना हुआ जिसकी लंबाई 17 अंगुल तथा मुठिया की लंबाई 7 अंगुल को प्रतिबंधित आकार का रखा ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में करु उर्फ प्रहलाद अ0सा0 1, बालकृष्ण कटारे अ0सा0 2, अनिल अ0सा0 3, पी0एस0 भदौरिया अ0सा0 4 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. प्रमोदसिंह भदौरिया अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 19.10.13 को थाना मौ में एसआई के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को विवेचना हेतु घमूरी-दंदरौआ तरफ शासकीय वाहन से रवाना हुए थे। वहां मेहगांव रोड दंदरौआ-चिरौल के बीच एक व्यक्ति हाथ में थैला लिए था जिसमें धारदार बका रखे मिला जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा। नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने नाम पता बताया। बका रखने का लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया। प्रहलाद व अनिल के सामने अभियुक्त से बका जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 बनाए जाने तथा अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 बनाए जाने का कथन करते हुए उन पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् थाने आकर थाने के अप0क्र0-239/13 पर प्र0पी0 5 की प्राथमिकी पंजीबद्ध किए जाने और उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में जब्ती साक्षी करु उर्फ प्रहलाद अ0सा0 1 तथा अनिल अ0सा0 3 हैं। उक्त दोनों साक्षी न तो अभियुक्त को जानते हैं और न उनके समक्ष अभियुक्त से कोई धारदार बका अथवा छुरा जब्त किए जाने व अभियुक्त की गिरफ्तारी किए जाने का कथन करते हैं। प्र0पी0 1 व 2 पर कमशः ए से ए व बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य स्वीकार करते हैं किन्तु अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते हैं, इस कारण से साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षीगण द्वारा इस सुझाव से इंकार किया कि उनके समक्ष दिनांक 19.10.13 करीब 4:30 बजे अभियुक्त के आधिपत्य से कोई प्रतिबंधित आकार का लोहे का धारदार बका/छुरी जब्त की गयी। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियुक्त को अपराध में झूठा लिप्त किया गया है। जब्ती साक्षीगण द्वारा मामले का समर्थन न किए जाने से जब्ती कार्यवाही का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

8. प्रमोदसिंह भदौरिया अ0सा0 4 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि रवानगी व वापसी रोजनामचे में दर्ज की गयी थी किन्तु प्रकरण में कोई रवानगी का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह सुस्थापित विधि है कि जब पुलिस अधिकारी किसी मामले अथवा कार्य के लिए थाने से रवाना होता है तो उसकी प्रविष्टि सुसंगत रोजनामचा सान्हा में किया जाना आवश्यक होता है। प्रकरण में जब्तीकर्ता प्रमोदसिंह अ0सा0 4 द्वारा थाने से रवाना होने के संबंध में कथन अवश्य किया है किन्तु रवानगी का कोई दस्तावेज न तो प्रकरण में संलग्न हैं और न ही ऐसे किसी रवानगी रोजनामचा सान्हा का कमांक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 5 में उल्लेखित किया गया है। ऐसी दशा में कथित चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा संपुष्टि के अभाव में उक्त रोजनामचा रवानगी को प्रमाणित न किया जाना एक संदेह की परिस्थिति को उत्पन्न करता है।

9. प्रकरण में प्रमोदसिंह भदौरिया अ0सा0 4 जो विवेचना हेतु थाना से रवाना होने का कथन करते हैं वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 पर कोई नमूना सील अंकित नहीं हैं। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक पर ऐसा कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है कि कथित जब्तशुदा छुरा/बका को साक्षियों व जब्तीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किसी जब्ती चिट से सील किया था। ऐसी दशा में अभियुक्त से कथित रूप से जब्त धारदार छुरा/बका की अनन्यता प्रश्नचिन्हित हो जाती है। न्यायालय द्वारा प्रकरण में बका की अनन्यता को सुनिश्चित करने हेतु मालखाना से उसे मंगाया गया किन्तु मालखाना प्रविष्टि के अनुसार उक्त बका को विनिष्ट किया जा चुका है। ऐसी दशा में अभियुक्त से जब्तशुदा बका की अनन्यता संदिग्ध हो जाती है। प्रमोदसिंह भदौरिया अ0सा0 4 द्वारा अपने साक्ष्य में धारदार बका जब्त होने के संबंध में कथन किया है किन्तु उसकी लंबाई व चौड़ाई के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है। म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्र0 6312-6552-11-बी-दिनांक 22.12.74 के अनुसार अधिसूचित स्थानों में सार्वजनिक स्थान पर ऐसे धारदार हथियार जिसकी फन की लंबाई 6 इंच से अधिक अथवा चौड़ाई 2 इंच से अधिक हो तो ऐसा धारदार हथियार बिना वैध अनुज्ञप्ति के संधारित नहीं किया जा सकता है। चूंकि अभियुक्त से अभिकथित रूप से जब्त धारदार हथियार की अनन्यता एवं उसके आकार के संबंध में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य विरोधाभासी व अस्पष्ट है ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

10. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता प्र0आर0 बालकृष्ण कटारे अ0सा0 2 हैं जो अनुसंधान में साक्षी अनिल एवं करु उर्फ प्रहलाद के कथन उनके बताए अनुसार लेख करने का कथन करते हैं। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक को वारंट जारी था। यह कथन करते हैं कि उनकी जानकारी में नहीं हैं कि वारंट जारी है, यह भी स्वीकार करते हैं कि छुरा एवं बका अलग अलग तरीके के होते हैं, अभियुक्त से छुरा जब्त होने का स्पष्ट

कथन करते हैं, बका जब न होने का तथ्य बताते हैं और स्वीकार करते हैं कि बका किसान अधिकतर चारा काटने के लिए रखते हैं। जब्तीकर्ता प्रमोदसिंह भदौरिया अ0सा0 4 द्वारा अभियुक्त से बका जब्त होने का कथन किया है ऐसी दशा में स्वयं जब्तीकर्ता व अनुसंधानकर्ता के कथनों में विरोधाभास विद्यमान हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

11. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.10.13 को समय 16:30 बजे, या उसके लगभग मौ मेहगांव रोड दंदरौआ चिरौल के बीच अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे का बका हाथ का बना हुआ जिसकी लंबाई 17 अंगुल तथा मुठिया की लंबाई 7 अंगुल को प्रतिबंधित आकार का रखा। अतः अभियुक्त प्रकाश को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) बी के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त की जमानत मुचलके भारहीन की जाती है।

13. प्रकरण में जब्तशुदा बका नष्ट हो चुका है।

14. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश